

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद—कुशीनगर।

पत्रांक— एस.पी.एम.यू./सहयोपर्याऽ/कुशीनगर/2022-23/183/ १६७५-

दिनांक १०.०३.२०२३

विषय— दिनांक 22-26 नवम्बर, 2022 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों को निस्तारित करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या—SPMU/NHM/M&E/2022-23-2566-2 दिनांक 19.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय दल द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 22-26 नवम्बर, 2022 को जनपद कुशीनगर का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों को तीन दिवसों के अन्दर निस्तारित कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को हार्ड एवं सापट कापी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—भ्रमण आख्या।

भवदीया,


(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

तददिनांक।

पत्रांक— एस.पी.एम.यू./सहयोपर्याऽ/कुशीनगर/2022-23/183/
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद—कुशीनगर।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
6. समस्त महाप्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय जनपद—कुशीनगर।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन०एच०एम० जनपद—कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि आख्या का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति—रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(डा० रवि प्रकाश दीक्षित)
नोडल अधिकारी—गोरखपुर मण्डल।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या

जनपद—कुशीनगर

दिनांक 22 से 26 नवम्बर, 2022

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०० लखनऊ के पत्रांक सं०SPMU/NHM/M&E/2022-23/2566-2 दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें (पतका—क)। पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन राज्य स्तरीय दल (श्री अरविन्द त्रिपाठी, सलाहकार आई०ई०सी० एवं श्री बलराम तिवारी, रीजनल कोऑर्डिनेटर (स्टेट), कम्यूनिटी प्रोसेस) द्वारा दिनांक 22.11.2022 से दिनांक 26.11.2022 तक के मध्य जनपद—कुशीनगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर एल—३,एल—२ व एल—१स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा सामुदायिक गतिविधियों का भ्रमण किया गया। जनपद की भ्रमण आख्या निम्नवत है—

राज्य स्तरीय टीम के सदस्यः—

- श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी, परामर्शदाता, आई०ई०सी०, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०।
- श्री बलराम तिवारी, रीजनल कोऑर्डिनेटर स्टेट, कम्यूनिटी प्रोसेस, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—फाजिलनगर जनपद—कुशीनगर

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	<ul style="list-style-type: none"> वार्ड का सफाई किया जाने का सुझाव दिया गया। वार्ड का रख रखाव कोल्ड चैन मे सफाई किया जाने का सुझाव दिया गया। लेबर रूम मे डिलवरी टेबल की पेन्टिंग/नया लगावाने, 7 ट्रे सिस्टम का सही प्रकार से रख रखाव/डिलवरी ट्रै कम से कम 2 सेट/जोनिंग करवाने Triage Room को बनाने/एवं उसमे बाथरूम की सफाई/फाटक का मरम्मत/एवं Nursh mentes के बगल के बाथरूम की मरम्मत एवं सफाई/ कैलिस पैड पंचर थे। लेबर टेबल पर फूट स्टेप नहीं था। लेबर रूम मे लेबर प्रोटोकाल पोस्टर नहीं थे। 7 ट्रे सिस्टम व्यवस्थित नहीं था। लेबर रूम एवं लेबर वार्ड मे साफ—सफाई का अभाव था। लेबर रूम के जाने वाले बरामदा मे लाइट व्यवस्था। चिकित्सालय परिसर मे लगे खिडकियों के सिसे जैसे एल.आर./ओ.टी./इंमेरजन्सी एवं ओ.पी.डी. में, के टूटे हुए हैं जिसको लगावाने की अवाश्यकता है। ड्यूटी रोस्टर को सही करना। लेबर रूम मे विटामिन ए की दवा उपलब्ध कराना। 	7 ट्रे डिलेवरी टेबल से दूरी पर स्थित है जिसको डिलेवरी टेबल के नजदीक करने, फूट स्टेप लगाने, प्रसव सम्बन्धी प्रोटोकाल चास्पा करने, 7 ट्रे सिस्टम व्यवस्थित करने, लेबर रूम एवं लेबर वार्ड मे साफ—सफाई प्रकाश की उचित व्यवस्था करने, मैकेन्टास शीट लगाने, कैलिस पैड फुला कर रखने, फूट स्टेप लगाने, एवं लेबर वार्ड मे साफ—सफाई हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक

	<ul style="list-style-type: none"> • लेबर टेबल पर मैकेन्टास शीट नहीं थी। • लेबर टेबल पर जंग लगा था। • आवश्यक सामग्री की लिस्ट ट्रे के कवर पर चिपका होना चाहिए। • आटोक्लेव लेबर रूम में नहीं था उसको लेबर रूम में रखने का एवं उसको प्रयोग हेतु निर्देश दिया गया। • लेबर रूम में लेबर प्रोटोकाल कमानुसार नहीं लगे थे उसको कायाकल्प के जनपद कन्सलटेंट को सुझाव दिया गया कि अपने निर्देशन में पोस्टर को सिक्वेंस में करा दिया जाय। 		
2	<ul style="list-style-type: none"> • भ्रमण रजिस्टर अद्युनांत नहीं था। • क्वालिटी एश्योरेंस के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई में अनुप्रयुक्त एवं खराब सामान/उपकरण आदि को पृथक् / कन्डम रूम में रखने एवं रिकार्ड के सम्बन्ध में। 	उक्त के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों को एप्रेन एवं नेम प्लेट/आई कार्ड का उपयोग करने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मी
3	<ul style="list-style-type: none"> • उपरोक्त के साथ ही मेडिसिन स्टोर एवं लाजिस्टक स्टोर का भ्रमण किया गया। 	औषधियाँ एवं अन्य लॉजिस्टिक यथा स्थान रखने एवं नामांकित करने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—रामकोला, जनपद—कुशीनगर

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	<ul style="list-style-type: none"> • लेबर रूम में लेबर टेबल की सतह गीली एवं गंदी पाई गई। गदा खराब बदला जाय। • लेबर रूम में उपयोगी दवा का उपलब्ध कराना। • लेबर रूम में डस्टबीन में वायोवेस्ट। • ओ०टी० के टेबल का साफ सफाई। • ओ०टी० का स्टाक रजिस्टर पूर्ण एवं कवर हो। • डिजिटल वाच उचित स्थान पर कराया जाय। • ओ०टी० में रोस्टर प्रिट लगा होना चाहिए। • लेबर वार्ड के छत का मरम्मत। • एक्सरे रूम के रजिस्टर को पूर्ण करना। • ओ०टी० से लगे शौचालय की साफ सफाई। • प्रसव कक्ष में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं रेडिएंट वार्मर का लागबुक उपलब्ध नहीं था। • दो सेट सेवेन ट्रे सुव्यवस्थित रूप से तैयार रखने हेतु निर्देशित किया गया। 	साफ लेबर टेबल, रेडियन्ट वार्मर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लागबुक, सेवेन ट्रे सिस्टम, लेबर रूम में ए०सी० लगवाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
2	<ul style="list-style-type: none"> • जे०एस०वाई० वार्ड में लगे हुए बेडों के बीच समुचित दूरी बनाने हेतु निर्देश दिया गया। • वार्ड में बेडों पर आधे भाग तक मैकिंटोश लगवाने का निर्देश दिया गया। • वार्ड में प्रसव पश्चात जांच एवं बचाव से सम्बन्धित आई०ई०सी० पोस्टर लगवाने हेतु निर्देश दिया गया। 	जे०एस०वाई० वार्ड में बेडों के बीच समुचित दूरी, हाफ मैकिंटोश, आई०ई०सी०, शौचालयों में नियमित साफ-सफाई हेतु एवं जे०एस०एस०के० सुविधाओं की पैटिंग दीवार पर करवाने, 102	चिकित्सा अधीक्षक

	<ul style="list-style-type: none"> शौचालयों में गंदगी पाई गई। 102 व 108 का रजिस्टर व रिकार्ड बनाया जाये व उचित रख-रखाव किया जाये। जे0एस0एस0के0 डाईट का 7 दिनों का मीनू जे0एस0वाई0 वार्ड की दीवार पर लिखाने का निर्देश दिया गया। 	एवं 108 ससमय अद्युनांत करने हेतु सुझाव दिया गया। एम0सी0एच0 विंग में टी0वी0 लगाने हेतु सुझाव दिया गया।	
3	<ul style="list-style-type: none"> सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र पर कार्यरत अधिकांश कर्मियों द्वारा एप्रेन नहीं पहना हुआ था। जिन कर्मियों ने एप्रेन पहना हुआ था उन्होंने नेम प्लेट/आई कार्ड नहीं लगायी हुई थी। 	उक्त के सम्बन्ध में समस्त कर्मियों को एप्रेन एवं नेम प्लेट/आई कार्ड का उपयोग करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मी
4	<ul style="list-style-type: none"> आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्ययोजना, लॉग बुक रिपोर्ट आदि के सम्बन्ध में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। पर्यवेक्षण में कार्ययोजना एवं रिपोर्ट में कमियाँ पायी गयी। 	आर0बी0एस0के0 टीम को कर्मियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं कर्मियाँ दूर करने का सुझाव दिया गया।	आर0बी0एस0के0 टीम
7	<ul style="list-style-type: none"> सी0एच0ओ0 के पी0बी0आई0 का भुगतान नहीं किया गया था। 	सी0एच0ओ0 के पी0बी0आई0 का भुगतान यथाशीध करने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/सम्बन्धित अधिकारी
8	<ul style="list-style-type: none"> अधिकांश आशाओं का परिवर्तित मोबाइल नं0 आर0सी0एच0 पोर्टल पर अद्युनांत नहीं है। जिससे मोबाइल एकेडमी कोर्स पूरा करने में आशाओं को असुविधा हो रही है। 	आशाओं का परिवर्तित मोबाइल नं0 आर0सी0एच0 पोर्टल पर अद्युनांत करने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी

हेत्थ वेल्स सेन्टर—करदह खड़ा

1	<ul style="list-style-type: none"> केन्द्र में आवश्यक दवाईयाँ कन्जयूबिल आदि उपलब्ध नहीं हैं। रजिस्टर इन्डेन्ट, कन्जयूबिल स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं है। फीडफैक गैर संचारी रोग की रजिस्टर पर इंट्री नहीं किया जा रहा है। लाभर्थी की गई जाँचों का विवरण संबंधी फार्मेट में नोट नहीं किया जा रहा है। सी बैक फार्म नियमित नहीं भरे जा रहे हैं तथा आशा को नहीं दिया गया। HWC में पैसेन्ट प्रतीक्षा स्थल नहीं है। पैसेन्ट परीक्षण के लिए अलग से स्थान नहीं है। केन्द्र की ब्राइंग प्रपर नहीं हुई है। Runing Water उपलब्ध नहीं है। Furniture उपलब्ध नहीं है। सी बैक प्रपत्र आशा को नहीं दिया गया। 	<p>भ्रमण के दौरान टीम द्वारा सी.एच.ओ को आवश्यक सुझाव व जानकारी दी गई तथा अपेक्षा की गई जनपद/ब्लाक स्तर से यथाशीध समस्त आवश्यक सामग्री पूर्ति करवाये जाये।</p>	सी.एच.ओ./अधीक्षक
---	--	---	------------------

वी.एच.एन.डी. उपकेन्द्र— करदह खड़ा

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
<ul style="list-style-type: none"> आशा, ए.एन.एम, आंगनवाड़ी की डयूलिस्ट मैच नहीं हो रही है। लाभथियों को जाँच करने का स्थान नहीं है। वी.एच.एन.डी. का बैनर नहीं लगा हुआ है। फैमिली प्लानिंग संबंधी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वी.एच.एन.डी. के दौरान लाभर्थी हेतु पेयजल, बाथरूम तथा बैठने के स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है। आंगनवाड़ी द्वारा ग्रोथ चार्ट नहीं बनाया जा रहा है। आशा HBNC प्रपत्र नहीं है। आशा ने डेस नहीं पहन रखी। 	भ्रमण के दौरान आशा एवं आंगनवाड़ी को डयूलिस्ट आपस में मैच करके बनाने तथा वी.एच.एन.डी. हेतु गाइडलाइन के अनुसार समुचित प्रॉपर व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया।	एन.एन.एम / वी.सी.पी.एम. / अधीक्षक

राज्य स्तरीय टीम द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से भेंट कर फीडबैक दिया गया तथा बैठक में उपस्थिति जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निम्न सुझाव दिये गये –

- जनपद व ब्लाक स्तर पर अधिकारियों द्वारा भ्रमण कार्ययोजना मूवमेन्ट रजिस्टर भ्रमण रिपोर्ट आदि प्रॉपर नहीं बनायी जा रही है जिससे जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गति धीमी है उक्त को सुचारू रूप से किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जनपद व ब्लाक स्तर फिजिकल व फाइनेंशियल अभिलेखों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अवलोकन हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे, जिसको सुनिश्चित कराने हेतु सुझाव दिया गया।
- जनपद द्वारा अधिकारियों का टीम निर्माण कर प्रत्येक फैसिलिटी के लेबर रूम का एसेसमेन्ट कराना उसको सुसज्जित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- एच०एम०आई०एस० तथा यू०पी०एच०एम०आई०एस० के ऑकड़ों की नियमित समीक्षा तथा वैलिडेशन प्रत्येक स्तर पर किया जाए।
- सभी इकाईयों में रोगी कल्याण समिति की बैठकें नियमानुसार करते हुए उसकी कार्यवाही प्रॉपर बनाई जाये तथा व्यय की धनराशि रजिस्टर में दर्शाया भी जाये। आर०के०एस० रजिस्टर कहीं भी देखने को प्राप्त नहीं हुए।
- जनपद/ब्लाक स्तर पर Printing /आई.ई.सी को तत्काल पूर्ण कराने का कहा गया।
- स्वास्थ्य इकाईयों में JSSK- कार्यक्रम के अन्तर्गत डायट रजिस्टर मेन्टेन कराना तथा डायट चार्ट को वाडो में दीवार लेखन नहीं किया गया जिससे सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।


(बलराम तिवारी)

रीजनल कोऑर्डिनेटर स्टेट, कम्यूनोप्रो


(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)

परामर्शदाता, आई०ई०सी०, कम्यूनोप्रो